


समयमत्र जाते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1332]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2015/आषाढ 5, 1937

No. 1332]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2015 /ASADHA 5, 1937

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2015

का.आ.1694(अ).— नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद् द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, देशभर में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 01 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ किया जाएगा।

[फा.सं.9/35/2015-सीआरडी(एनपीआर)]

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF REGISTRAR GENERAL CITIZEN REGISTRATION, INDIA)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2015

S.O.1694(E).—In pursuance of sub-rule(4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the Central Government hereby decides to prepare and update the Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the country for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken with effect from the 1st day of July, 2015 onwards.

[F.No.9/35/2015-CRD(NPR)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General Citizen Registration, India

2803 GI/2015